

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0:-86 / 2026


1. इन्द्रा देवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीया

बनाम्

1. गुरसंगीत सिंह पुत्र जग्गासिंह जाति छिम्पा निवासी 10 एसबीएन सालीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपरिथिति:- श्री महेश गौड अधिवक्ता प्रार्थी

श्री सुनिल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 30.4.24

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद इन्द्रादेवी बनाम् गुरप्रीतसिंह आदि के नाम से प्रकरण सं0 14 / 2026 प्रस्तुत किया था जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2026 को निर्णय पारित किया जाकर वाद डिक्री किया गया है तथा उक्त डिक्री में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 को चक नं0 10 एस.बी.एन की अन्य आराजी के अलावा प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 14/116 है0 पूर्वी दिशा की भूमि प्रार्थीया को तथा किलानं0 7, 13, 14/.129 है0 पश्चिम दिशा की भूमि अप्रार्थी सं0 1 गुरसंगीत को प्राप्त हुई है। इन्द्रादेवी बनाम् गुरप्रीतसिंह आदि की डिक्री दिनांक 16.04.2026 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी आराजी के आवागमन के लिए चक नं0 10 एस.बी.एन के प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 7, 13, 14 में रास्ता छोड़ा हुआ है उक्त रास्ता से ही प्रार्थीया अपनी भूमि में आवागमन करती चली आ रही है अपनी कृषि यन्त्र अपने खेत में लाती व ले जाती है। प्रार्थीया ने रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी सं0 1 गुरसंगीत सिंह को प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 14/116 है0 में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है0 भूमि अप्रार्थी गुरसंगीत सिंह की भूमि के चिपते हुए दी हुई है। प्रार्थीया द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता मौका पर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा चालू किया है इससे प्रार्थीय व अप्रार्थी सं0 1 दोनों सहमत है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं होने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता इसलिए प्रार्थीया चक नं0 10एस.बी.एन के प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 7 में उतर - पश्चिम कॉर्नर 12 गुणा 12 यानि 0.0013 है0 किलानं0 13 में उतर - पूर्व कॉर्नर 8 गुणा 8 यानि 0006 है0 तथा किला नं0 14 में 8 गुणा 8 फुट यानि 0006 है0 मध्य में रास्ता उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम, पहले वाले रास्ते से लगता लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता का अंकन करवाने तथा रास्ता की भूमि के बदले में चक नं0 10 एसबीएन के प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 14/ 116 है0 में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 गुरसंगीत के नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति का है जो कि पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है तथा अन्दर मियाद व कोबिल समायत अदालत हाजा के है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर0टी0ए0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं0 10एस. बी.एन के प0न0 191/207 मु0


24
जुड अधिकारी
सहायक कलक्टर
टिब्बी

63 किलानं० 7 में उतर- पश्चिम कॉर्नर 12 गुणा 12 यानि 0.0013 है०, किलानं० 13 में उतर-पूर्व कॉर्नर 8 गुणा 8 यानि 0006 है० तथा किला नं० 14 में 8 गुणा 8 फुट यानि .0006 है० मध्य में रास्ता उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम, पहले वाले रास्ते से लगता लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन कर रास्ता की भूमि के बदले में चक नं० 10 एसबीएन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 14/116 है० में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है० भूमि अप्रार्थी सं० 1 गुरसंगीत के नाम से दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की ओर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 पते से सम्बन्धित है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 रिकार्ड से सम्बन्धित है जो स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। प्रार्थीया व मुझ अप्रार्थीसं० 1 द्वारा अपनी आराजी के आवागमन के लिए चक नं० 10एस.बी.एन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 7,13, 14 में रास्ता छोड़ा हुआ है उक्त रास्ता से ही प्रार्थीया अपनी भूमि में आवागमन करती चली आ रही है अपनी कृषि यन्त्र अपने खेत में लाती व ले जाती है। प्रार्थीया ने रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी सं० 1 गुरसंगीत सिंह को प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 14/116 है० में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है० भूमि अप्रार्थी गुरसंगीत सिंह की भूमि के चिपते हुए दी हुई है। प्रार्थीया द्वारा चाहे जाने वाला रास्ता मौका पर मुझ अप्रार्थी सं० 1 द्वारा चालू किया हुआ है, इससे प्रार्थीया व अप्रार्थी सं० 1 दोनो सहमत है। इसलिए, चक नं० 10एस. बी. एन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 7 में उतर- पश्चिम कॉर्नर 12 गुणा 12 यानि 0.0013 है०, किलानं० 13 में उतर-पूर्व कॉर्नर 8 गुणा यानि .0006 है० तथा किला नं० 14 में 8 गुणा 8 फुट यानि .0006 है० मध्य में रास्ता उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम, पहले वाले रास्ते से लगता लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किया जाकर तथा रास्ता की भूमि के बदले में चक नं० 10 एसबीएन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 14/116 है० में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है० भूमि मुझ अप्रार्थी सं० 1 गुरसंगीत के नाम से दर्ज की जाती है तो मुझे कोई उज्र व एतराज नहीं है। मैं अप्रार्थी इससे पूर्णतया सहमत हूँ। प्रार्थना पत्र की दफा 4 कानूनी है लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नं० 10एस. बी.एन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 7 में उतर- पश्चिम कॉर्नर 12 गुणा 12 यानि 0.0013 है०, किलानं० 13 में उतर-पूर्व कॉर्नर 8 गुणा 8 यानि 0006 है० तथा शकिला नं० 14 में 8 गुणा 8 फुट यानि .0006 है० मध्य में रास्ता उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम, पहले वाले रास्ते से लगता लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन कर रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थीया के नाम की भूमि चक नं० 10 एसबीएन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 14/116 है० में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है० भूमि मुझ अप्रार्थी सं० 1 गुरसंगीत के नाम से दर्ज की जाती है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उज्र व एतराज नहीं है।


बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उभयपक्ष को ऐतराज नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक उभयपक्ष सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जाता जाकर चक नं० 10एस. बी.एन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 7 में उतर-पश्चिम कॉर्नर 12 गुणा 12 यानि 0.0013 है०, किलानं० 13 में उतर-पूर्व कॉर्नर 8 गुणा 8 यानि .0006 है० तथा किला नं० 14 में 8 गुणा 8 फुट यानि .0006 है० मध्य में रास्ता उतर दिशा में पूर्व से पश्चिम, पहले वाले रास्ते से लगता लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में प्रार्थीया के नाम की भूमि चक नं० 10

डि. प्रकाश
महायक कलेक्टर
दिल्ली



एसबीएन के प0न0 191/207 मु0 63 किलानं0 14/116 है0 में से 7 गुणा 157 फुट यानि 0.010 है0 अप्रार्थी सं० 1 गुरसंगीत के नाम से दर्ज की जावे व प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 रास्ते का अंकन करे।




उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक (सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।